टिकट हेतु ई0टी0एम0 मशीन के "Ladies" विकल्प को चयन करने से टिकट प्रिन्ट होगा। निःशुल्क टिकट केवल दिनांक 03–08–2020 के लिये ही निर्गत होगा। अतः यह आवश्यक है कि ई0टी0एम0 मशीन प्राप्त करते समय **मशीन की तिथि व समय सही हो।** अन्य जानकारी डिपो/क्षेत्र में Trimax के Team Leader से प्राप्त की जा सकती है।

6— समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धकों द्वारा रक्षाबन्धन पर्व पर परिवहन निगम की बसों में महिला यात्रियों को निःशुल्क यात्रा उपलब्ध कराने की सुविधा दिनांक 02 अगस्त, 2020 की मध्य रात्रि 12:00 बजे से दिनांक 03 अगस्त, 2020 की मध्य रात्रि 12:00 बजे तक की अवधि में (24 घण्टो के लिये यात्रा प्रारम्भ करने के समयानुसार) की गयी यात्रा (टिकटों की संख्या एवं किराये की धनराशि) का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में दिनांक 05 अगस्त, 2020 तक प्राप्त कराया जायेगाः—

डिपो का नाम	महिला यात्री को जारी कुल टिकटों की संख्या	महिला यात्रियों द्वारा की गयी यात्रा का कुल टिकट मूल्य

उपरोक्त के अतिरिक्त अग्रिम आरक्षण/बुकिंग काउंटर से क्रय किये गये टिकट जो दिनांक 02 अगस्त, 2020 की मध्य रात्रि 12:00 बजे से दिनांक 03 अगस्त, 2020 की मध्य रात्रि 12:00 बजे तक (24 घण्टो के लिये–यात्रा प्रारम्भ करने के समयानुसार) महिलाओं की यात्रा के लिये है, के सम्बन्ध में निम्नवत् निर्देश दिये जाते हैः—

1. ऑनलाइन एवं ए0पी0आई0 के माध्यम से क्रय किये गये महिला टिकट की धनराशि का रिफण्ड दिनांक 03–08–2020 के उपरान्त ऑनलाइन स्वतः हो जायेगा।
2. दिनांक 03–08–2020 की यात्रा के लिये महिला यात्री द्वारा काउंटर से अग्रिम क्रय किये गये टिकट की धनराशि का रिफण्ड निगम के किसी भी काउंटर से यात्रा समाप्ति के 72 घंटे के अंदर प्राप्त किया जा सकेगा।

परिवहन निगम की बसों में रक्षाबंधन पर्व पर महिलाओं को निःशुल्क यात्रा उपलब्ध कराने की विशेष सुविधा/व्यवस्था का व्यापक प्रचार–प्रसार क्षेत्र, डिपो, स्टेशन स्तर पर कराया जाये तथा महिला यात्रियों की जानकारी हेतु प्रत्येक स्टेशन पर इस आशय की सुचना प्रदर्शित की जाये एवं स्थानीय प्रेस के माध्यम से भी प्रचार–प्रसार कराना सुनिश्चित करें।

उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(डा0 राज शेखर)
प्रबन्ध निदेशक

स0संख्यक/समदिनांकित

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— निजी सचिव–प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग, उ0प्र0 शासन को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2— वित्त नियंत्रक, परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।
2— मु0प्र0प्र0(प्रशासन/संचालन/प्राविधिक), परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।
3— प्र0प्र0(आई0टी0), परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि उक्त अवधि के लिये सॉफ्टवेयर में आवश्यक संशोधन कराकर, उक्त व्यवस्था को लागू कराना सुनिश्चित करें।
4— समस्त नोडल अधिकारी, परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।
5— सहायक प्रबन्धक, अध्यक्ष कैम्प/प्र.नि./अ.प्र.नि. कैम्प, परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।
6— जन सम्पर्क अधिकारी, परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि उक्त के सम्बन्ध में व्यापक प्रचार–प्रसार करना सुनिश्चित करें।

(डा0 राज शेखर)
प्रबन्ध निदेशक

Downloaded from www.upsrtc.com